निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:	श्री विजय किरन आनन्द,
पदनाम	:	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षण स्थल	:	ग्राम लौका स्थित भूखण्ड की स्टाम्प की जांच जनपद–शाहजहाँपुर।
निरीक्षण का दिनांक	:	27–04–2016

मेरे द्वारा दिनांक 27.04.2016 को शासनादेश सं0 क0नि0–5–1420/11–99–500(136)/89 दिनांक 16.08.1999 के क्रम में विलेख संख्या 3694/2016 जो दिनांक 28.04.2016 को पंजीकृत कराया गया है का निरीक्षण किया गया। निरीक्षित विलेख में अंकित सम्पत्ति का विवरण तथा उस पर अदा किये गये स्टाम्प का विवरण निम्नवत है :–

1. विलेख संख्या	3694/2016
(क) प्रस्तुत करने का दिनांक	28.03.2016
(ख) विलेख द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का निर्धारित सूची के अनुरूप मूल्यः–	13400000.00
(ग) स्थलीय निरीक्षण की जाने वाली सम्पत्ति की स्थिति/ वर्तमान उपयोगः–	व्यवसायिक
2– स्थल निरीक्षण किये जाने वाली सम्पत्ति की स्थिति कृषि/आवासीय/व्यवयायिक/औद्योगिक,	व्यवसायिक
3– सम्पत्ति के आस–पास विद्यमान गतिविधियां–	व्यवसायिक
4– शासनादेश के अनुसार सम्पत्ति की स्थिति उपयोगिता के आधार पर–	13398000

5– सम्पत्ति– एक किता आराजी उफतादा आवासीय/व्यवसायिक भूमि क्षेत्रफल 320.51 वर्ग मीटर।

स्थित– ग्राम लौका परगना व तहसील सदर शाहजहाँपुर।

विक्रेता :– श्रीमती मीरा देवी आदि।

क्रेता :– भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक रोड दिल्ली द्वारा राजेश अग्रवाल (विधायक) प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा उ0प्र0, 276, कालीबाड़ी, बरेली।

चौहद्दीः–

पूरब–आराजी मीरा मिश्रा	उत्तर–सत्यप्रेम पेट्रोल पम्प
पश्चिम–सड़क सरकारी (हथौड़ा चौराहा से पुत्तूलाल चौराहा)	दक्षिण–रास्ता कच्चा 14 फिट

6– जैसा कि प्रपत्र नियम–6, में उद्वरित किया गया है कि अन्तरित सम्पत्ति–एक किता आराजी व्यवसायिक क्षेत्रफल 320.51 वर्ग मीटर स्थित– ग्राम लौका परगना व तहसील सदर शाहजहाँपुर का दिनांक 28.04.2016 को उपजिलाधिकारी सदर/तहसीलदार/क्षेत्रीय लेखपाल की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा मौके पर लेखपाल द्वारा तैयार किया गया सम्पत्ति का नजरी नक्शा संलग्न है।

दिनांक 01.08.2015 से प्रभावी वार्षिक रेट सूची के प्रारूप–3(ख), पृष्ठ सं0 106, क्रम सं0 10, पुत्तूलाल चौराहा से फत्तेपुर रेती होते हुए हथौड़ा चौराहा तक वी कोड 1052 पर निर्धारित दर 38000/–रू0 प्रति वर्ग मीटर, व्यवसायिक दर निर्धारित है, तथा दो रास्ते होने के कारण दर सूची में 10 प्रतिशत अधिक दर मूल्यांकन किये जाने के प्रावधान के क्रम में सम्पत्ति का मू0क्षे0 320.51 X 41800= 13397318 अर्थात 13398000/रू0 पर 7 प्रतिशत की दर से 937860/रू0 स्टाम्प देय है। विलेख पर 938000/–रू0 स्टाम्प अदा किया गया है।

अतः विलेख पर प्रथम दृष्टया कोई कमी स्टाम्प का प्रकरण परिलक्षित नहीं हुई है।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।

पत्रांक- 1285/OSD/कैम्प/2016 दि0- 5/5/16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), शाहजहाँपुर।
2– सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, शाहजहाँपुर।
3– उप निबन्धक सदर, शाहजहाँपुर।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।